

प्रेषक,

एस०एन० शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10

लखनऊ: दिनांक: ०४ सितम्बर, 2008

विषय: वर्ष 2009–10 में सूखा से प्रभावित कृषकों की क्षतिग्रस्त/नष्ट फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2009 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में सूखा से 50 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षति हेतु कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण हेतु संलग्न सूची के अनुसार कुल धनराशि रु० 2,01,09,00,000/- (रुपया दो अरब एक करोड़ नौ लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक्रम के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि सूखा से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरण करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–जी०आई०–134/1–11–2007–46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित मदों में आवश्यकता अनुसार ०७ दिन में व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. दैवी आपदा से प्रभावित कृषकों को शासनादेश संख्या–4464/1–10–2008–14(45)/2003, दिनांक 24 सितम्बर, 2008 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए दैवी आपदा की सभी मदों में दिये जाने वाले रु० 2000/-तक की धनराशि का वितरण वियरर चेक के माध्यम से तथा रु० 2000/-से अधिक की धनराशि का वितरण एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही किया जाय।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल इस वित्तीय वर्ष में सूखा से प्रभावित कृषकों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा। बिना बोए हुए क्षेत्र अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। सूखे के कारण फसलों की हुई क्षति का प्लाटवार सर्वेक्षण/रिलीफ खतौनी तैयार की जाएगी। तैयार की गयी रिलीफ खतौनी के आधार पर उन्हीं पात्र कृषकों को धनराशि वितरित की जाएगी जिनकी फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक की वास्तविक क्षति हुई है।

6. कृषि निवेश अनुदान का वितरण गांवों में विशेष कैम्प लगाकर किया जाय। कैम्प का कार्यक्रम तत्काल निर्धारित कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय ताकि कृषक लाभार्थी पूरी संख्या में कैम्प में उपस्थित हो सकें। कृषि निवेश अनुदान सम्बन्धी चेक का वितरण पर्यवेक्षीय अधिकारियों एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाय। राहत की धनराशि की प्राप्ति एवं व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में रसीद पर स्थानीय लेखपाल एवं ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर प्राप्त कर इसे अभिलेख में रखा जाये। वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाय।

7. जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम के कैम्प के लिए एक पर्यवेक्षीय अधिकारी (भू-लेख निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी आदि) की तैनाती करने के साथ-साथ राहत वितरण कार्य पर आकस्मिक निरीक्षण द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण रखने हेतु जनपद या तहसील स्तरीय अधिकारी की भी तैनाती करेंगे जो अपनी संक्षिप्त आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिलाधिकारी उक्त आख्या के प्रति, अपनी संस्तुति तथा वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को 07 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की पांच तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर साप्ताहिक व्यय हुई धनराशि को अनिवार्य रूप से फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि का 07 दिन में उपभोग करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र शासन को लौटती डाक से अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। यदि आवंटित धनराशि में से बचत संभावित हों तो उन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक शासन को समर्पित कर दिया जाय।



10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. दैवी आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

12. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

13. कृपया उक्त निर्देशों का समयबद्ध एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(एस०एन० शुक्ला)

सचिव

संख्या -3258(1) / 1-10-2009-12(72) / 2009, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश सं0 3258 / 1-10-2009-12(72) / 2009
 दिनांक ०५ सितम्बर, 2009 का संलग्नक

क्र.सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 में)
1	कानपुर नगर	70600000
2	झाँसी	124200000
3	हारपुर	72600000
4	जालौन	69400000
5	मथुरा	147000000
6	मीरजापुर	105900000
7	सोनभद्र	91300000
8	बांदा	127100000
9	जौनपुर	178200000
10	आजमगढ़	237400000
11	उन्नाव	80400000
12	ललितपुर	138900000
13	हाथरस	28800000
14	महोबा	54000000
15	इटावा	22600000
16	कांसीरामनगर	31200000
17	फिरोजाबाद	21500000
18	एटा	32500000
19	चित्रकूट	11000000
20	अलीगढ़	59200000
21	आगरा	25000000
22	गाजीपुर	45900000
23	गोरखपुर	69900000
24	कानपुर देहात	18200000
25	चन्दौली	17400000
26	कन्नौज	18100000
27	वाराणसी	15000000
28	संतरविदास नगर	8900000
29	फर्रुखाबाद	9000000
30	मैनपुरी	12900000
31	मऊ	6300000
32	कौशाम्बी	3700000
33	बलरामपुर	6800000
34	देवरिया	11500000
35	सुल्तानपुर	6500000
36	बुलन्दशहर	1000000
37	मेरठ	1000000
38	इलाहाबाद	1000000
39	अब्देलकरनगर	1000000

क्र.सं.	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (₹० में)
40	औरैया	1000000
41	बदायूँ	1000000
42	बलिया	1000000
43	बरेली	1000000
44	बरती	1000000
45	बिजनौर	1000000
46	फैजाबाद	1000000
47	फतेहपुर	1000000
48	गौतमबुद्धनगर	1000000
49	गाजियाबाद	1000000
50	हरदोई	1000000
51	ज्योतिबाफूलेनगर	1000000
52	कुशीनगर	1000000
53	लखनऊ	1000000
54	मुरादाबाद	1000000
55	मुजफ्फरनगर	1000000
56	पीलीभीत	1000000
57	रायबरेली	1000000
58	रामपुर	1000000
59	सहारनपुर	1000000
60	संतकबीरनगर	1000000
61	शाहजहाँपुर	1000000
62	सिद्धार्थनगर	1000000
63	सीतापुर	1000000
64	बागपत	500000
65	बाराबंकी	500000
66	बहराइच	500000
67	गोण्डा	500000
68	लखीमपुर खीरी	500000
69	महराजगंज	500000
70	प्रतापगढ़	500000
71	श्रावस्ती	500000
	कुल योग	2010900000

(रुपया दो अरब एक करोड़ नौ लाख मात्र)

(एस०एन० शुक्ला)
सचिव